रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2012/वैशाख 26, 1934

No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2012/VAISAKHA 26, 1934

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 15 मई, 2012

वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत के अल्पकालिक (अर्थात् एक वर्ष से कम अथवा समान अवधि के लिए) अधिप्राप्ति के लिए दिशानिर्देश ।

1. प्रस्तावना :

सं. 23/25/2011-आर एंड आर.—भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है । विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसियों के लिए सबसे बड़ा लागत तत्व है । इसके अतिरिक्त, विद्युत के अल्पकालिक अधिप्राप्ति के लिए विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसियों के लिए समग्र विद्युत क्रय लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है । वितरण लाइसेंसियों द्वारा अल्पकालिक विद्युत आवश्यकता के प्रतिस्पर्धात्मक अधिप्राप्ति से विद्युत के अधिप्राप्ति की समग्र लागत के घटने की संभावना है तथा इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे ।

इस समय अल्कालिक विद्युत बाजार भारत में कुल खरीदं की गई विद्युत के लगभग 10% के बराबर है ।

अधिनियम की धारा 61 एवं 62 में उपयुक्त आयोग द्वारा प्रशुल्क विनियमन तथा विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग तथा खुदरा बिक्री के प्रशुल्क के निर्धारण की व्यवस्था है ।

अधिनियम की धारा 63 में कहा गया है कि " धारा 62 में किसी भी बात के समाविष्ट होते हुए भी, उपयुक्त आयोग प्रशुल्क को अपनाएगा, यदि ऐसे प्रशुल्क का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया हो ।"

ये दिशा-निर्देश अधिनियम की धारा 63 के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किए गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

(i) वितरण लाइसेंसियों द्वारा उनकी अल्पकालिक मांग (एक वर्ष से कम अथवा समान) के लिए विद्युत के प्रतिस्पर्धात्मक अधिप्राप्ति को बढ़ावा देना;

(ii) डिस्कॉम के विद्युत क्रय बिल को पारदर्शी दिशा-निर्देशों पर आधारित नियोजित अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के माध्यम से घटाना;

(iii) उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना;

(iv) अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ाना;

ये दिशा-निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के संबद्ध प्रावधानों, नीतियों तथा उपयुक्त आयोग द्वारा जारी अन्य लागू विनियमों के साथ पढ़े जायेंगे । किसी विरोध की स्थिति में, स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जायेंगे ।

2. दिशा-निर्देशों का क्षेत्र

ये दिशा-निर्देश वितरण लाइसेंसियों द्वारा अल्पावधि अर्थात एक वर्ष या इससे कम अवधि के लिए, विद्युत की खरीद करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं ।

स्पष्टीकरणः इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से "अधिप्रप्तिकर्ता (अधिप्राप्तिकर्ताओं) " शब्द का अर्थ है जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित हो, वितरण लाइसेंसी अथवा इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली प्रक्रिया के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का निष्पादन करने हेतु वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) का अधिकृत प्रतिनिधि ।

दिशा-निर्देश प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अल्पकालीन विद्युत आवश्यकता की अधिप्राप्ति[1] के लिए लागू होंगे ।

जब तक कि इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक इन दिशा-निर्देशों के प्रावधान अधिप्राप्तिकर्ता (ओं) पर बाध्यकर होंगे ।

संयुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक से अधिक खरीददारों द्वारा खरीद की अनुमति होगी तथा ऐसे मामले में, खरीददारों को एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रक्रिया का संचालन करने के विकल्प होंगे जो उनमें से एक खरीददार होगा । ऐसे संयुक्त खरीददार के लिए, प्रत्येक खरीददार इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करेगा । बोली के मूल्यांकन में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न खरीददारों द्वारा बोलीकर्ताओं को प्रस्तुत भुगतान प्रतिभूति तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें भिन्न नहीं होंगी । बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली आमंत्रित कर रहे खरीददारों के लिए समान होगा ।

1 राज्य विद्युत यूटिलिटिया(केवल) अपनी अतिशेष विद्युत को बेचने के लिए पृथक बोलियां आमंत्रित करेंगी तथा इनका दिशा-निर्देशन उपयुक्त आयोग के व्यापार मार्जिन विनियमों द्वारा किया जाएगा ।

जब कभी उपयुक्त लगे (इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के पश्चात 5 वर्षों से अधिक नहीं) । तब केंद्र सरकार " रिवर्स आक्सन " की प्रणाली की जांच करेगी तथा ई-प्लेटफार्म के माध्यम से उसे प्रारंभ करेगी ।

अपवादः आकस्मिकता के लिए अनुमति देते हुए **15 दिनों** से कम के लिए विद्युत की खरीद किए जाने को इन दिशा-निर्देशों के क्षेत्र में बाहर रखा जाएगा । बैंकिंग तंत्र के अंतर्गत तथा पावर एक्सचेंजों से खरीद की गई विद्युत को भी इन दिशा-निर्देशों के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा ।

3.0 बोलियां आमंत्रित करने की तैयारी

3.1 अधिप्राप्तिकर्ता अल्पकालीन विद्युत का अधिप्राप्ति, उपयुक्त आयोग अथवा उपयुक्त निकाय, जिसका गठन उपयुक्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया गया हो, के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करेगा (गें) । ऐसे मामले में वितरण लाइसेंसी प्रापण प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने के बारे में उपयुक्त आयोग को सूचित करेगा ।

3.2 यदि अल्पकालिक विद्युत की खरीद अनुमोदित वार्षिक अल्पकालीन खरीद योजना से अधिक होती है तो इस मामले में, खरीददार उपयुक्त आयोग अथवा उपयुक्त निकाय, जिसका गठन उपयुक्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया गया हो, से पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा (गें) ।

4.0 प्रशुल्क संरचना

4.1 अधिप्राप्तिकर्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर, पूरे दिन (आरटीसी) के आधार अथवा विभिन्न समय अंतरालों के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा । अधिप्राप्तिकर्ता दी गई न्यूनतम मात्रा के, बोलीकर्ता को, निविदाकृत मात्रा के एक भाग की बोली के लिए भी लचीलापन प्रदान करेगा । बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली क्षमता संपूर्ण संविदा अवधि के लिए एकसमान रहेगी ।

बोलीकर्ता सुपुर्दगी बिंदु पर तीन(3) दशमलव तक एकल प्रशुल्क उद्धृत करेगा जिसमें क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार, व्यवसाय मार्जिन (यदि व्यापारी बोलीकर्ता हो तो) तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर, शुल्क, उपकर इत्यादि शामिल होंगे । प्रशुल्क केवल भारतीय रुपये में ही नामोद्दिष्ट किए जायेंगे ।

विद्युत के अंतर-राज्यीय पारेषण के लिए, विक्रेता की राज्य/क्षेत्रीय परिरेखा सुपुर्दगी बिंदु मानी जाएगी । विद्युत के अंतर-राज्य पारेषण के लिए, एसटीयू के साथ विक्रेता का इंटरकनेक्शन बिंदु सुपुर्दगी बिंदु कहलाएगा । तथापि, लागू पीओसी प्रभारों को ध्यान में रखने के पश्चात, बोलियां खरीददार की परिरेखा मे मूल्यांकित की जाएगी ।

संदेह दूर करने के लिए, अंतःराज्यीय खुली पहुंच प्रभार, पारेषण प्रभार तथा सीटीयू इंजक्शन प्रभारों सहित हानियां तथा सीटीयू इंटरफेस तक हानि विक्रेता के खाते में जाएगी तथा अंतःराज्यीय खुली पहुंच पारेषण प्रभार तथा हानियों के साथ सीटीयू आहरण प्रभार तथा हानियां अधिप्राप्तिकर्ता के खाते में जाएंगी ।

संविदा अवधि के दौरान प्रशुल्क समान रूप में रहना चाहिए तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी । यदि बोलियां भिन्न-भिन्न समय अंतरालों के लिए आमंत्रित की जाती हैं तो प्रशुल्क प्रत्येक समय अंतराल के लिए भिन्न होगा ।

यदि विद्युत की आपूर्ति वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से की जा रही है तो, मौजूदा गलियारे को रद्द करने तथा नये गलियारे की बुकिंग करने इत्यादि के कारण यदि कोई अतिरिक्त प्रभार तथा हानि होती है तो वह बोलीकर्ता के खाते में जाएगी ।

5. बोली प्रक्रिया: एक चरण प्रक्रिया

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अधिप्राप्ति के लिए, बोली प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करते हुए एकल-चरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी । प्रापणकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली दस्तावेज़ तैयार करेगा ।

अधिप्राप्तिकर्ता कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में आरएफपी सूचना प्रकाशित करेगा तथा इसके व्यापक प्रचार के लिए इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा । बोलियां आवश्यक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा ही होंगी ।

अधिप्राप्तिकर्ता किसी भी बोलीकर्ता/प्रतिभागी को निविदा दस्तावेज की लिखित व्याख्या ही प्रदान करेगा तथा इसे अन्य सभी बोलीकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाएगा । सभी पक्ष पूरी तरह से लिखित सूचनाओं पर ही विश्वास करेंगे ।

प्रापक द्वारा आरएफपी में प्रदान किए जाने वाले मानक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे,

i) अधिप्राप्तिकर्ता (ओं) की परिभाषा, विद्युत की आवश्यकता, मात्रा सहित, समय अंतराल, आपूर्ति की अवधि तथा सुपुर्दगी बिंदु ।

ii) बोलियों के मूल्यांकन में तथा संविदा अवार्ड करने के लिए बोलीकर्ता चुनने में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाएं तथा मानदंड ।

iii) ब्याना धन जमा (ईएमडी)/बैंक गारंटी(बीजी) ।

क. बोलीदाता को किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में 30,000 रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह की ईएमडी प्रस्तुत करनी होगी ।

ख. ईएमडी निम्नलिखित स्थितियों में ज़ब्त की जा सकती है-

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान बोली को वापस ले लेता है अथवा संशोधित करता है ।
- सफल बोलीदाता द्वारा संविदा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत न किए जाने के लिए ।

ग. ईएमडी बोली वैधता के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाए ।

घ. सफल बोलीदाताओं की ईएमडी संविदा निष्पादन गारंटी देने के पश्चात वापस कर दी जाए ।

iv. संविदा निष्पादन गारंटी (सीपीजी)

क) सफल बोलीदाता को संविदा अवधि अथवा उसके किसी भाग के 3 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह की दर से परिकल्पित राशि हेतु सफल बोलीदाता के चयन की तारीख से 7 दिन के भीतर सीपीजी देना अपेक्षित है ।

ख) सीपीजी किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बीजी के रूप में होगी और संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात 1 माह की दावा अवधि के साथ संविदा अवधि के लिए वैध होगी ।

ग) यदि सीपीजी निर्धारित तारीख के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अधिसूचना के अनुरूप प्रस्तुत की गई बोली प्रतिभूति ज़ब्त कर ली जाएगी ।
घ) सफल बोलीदाता द्वारा दी गई सीपीजी, संविदा दायित्वों का निष्पादन न किए जाने पर ज़ब्त कर ली जाए । सीपीजी ठेका अवधि को पूरा होने के पश्चात 30 दिन के भीतर अवमुक्त की जाए ।

v. बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता अवधि बोली खोले जाने की तारीख से 10 दिन की होगी ।

vi. चयनित बोलीदाता के साथ किया जाने वाला प्रस्तावित पीपीए । पीपीए में निम्नलिखित से संबंधित आवश्यक ब्यौरा शामिल होगा:

क. पक्षों के बीच जोखिम निर्धारण ।
ख. अप्रत्याशित घटना का अर्थ निम्नलिखित किसी घटना का घटित होना होगा:-

- पारेषण बंद होने/ग्रिड अवरोध के कारण विद्युत के निर्धारण में आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध को किसी भी पक्ष पर किसी दायित्व के बिना अप्रत्याशित घटना माना जाएगा ।
- कोई घटना अथवा परिस्थिति अथवा मिली-जुली घटनाएं और परिस्थतियाँ जैसे कि दैवीय घटना, अपवादिक रूप से विपरीत मौसमी स्थितियाँ, बिजली गिरना, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ज्वालामुखी फटना, आग या भू-स्खलन या प्रणाली में व्यवधान डालने वाली आतंकवादी कार्रवाई ।

अनुबंधित विद्युत को पारेषण अवरोध की अवधि के लिए कम हुआ माना जाएगा । पारेषण कॉरीडोर की अनुपलब्धता/आंशिक उपलब्धता संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए ।

(ग) विधि में परिवर्तन- विधि में परिवर्तन में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- पारेषण शुल्कों और खुली पहुँच शुल्कों में कोई परिवर्तन
- करों (आयकर को छोड़कर) शुल्कों प्रतिकरों में कोई परिवर्तन या विक्रेता द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु लागू कोई कर, शुल्क, प्रतिकर आरंभ करना ।

(घ) बिलिंग चक्र- बोलीदाता निर्धारित ऊर्जा के लिए साप्ताहिक आधार पर या संविदा अवधि के अंत तक बिल प्रस्तुत करें ।

(ङ) निर्देशित क्षमता की आपूर्ति न कर पाने के लिए परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान।

- दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक निर्धारण में मासिक आधार पर अनुमोदित खुली पहुँच के अनुसार अनुबंधित विद्युत का 15% से अधिक विचलन नहीं होगा ।
- यदि प्राप्तकर्ता की ओर से अनुबंधित ऊर्जा, जिसके लिए खुली पहुँच मासिक आधार पर आबंटित की गई है, में 15% से अधिक विचलन होता है तो प्राप्तकर्ता संविदा के अनुसार खुली पहुँच शुल्क का भुगतान जारी रखते हुए 15% के अनुमत विचलन से अधिक की कमी के लिए प्रति किलोवाट घंटा टैरिफ के 20% की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा ।

यदि विक्रेता की ओर से अनुबंधित ऊर्जा जिसके लिए मासिक आधार पर खुली पहुँच आबंटित की गई है, के लिए विचलन 15% से अधिक है तो विक्रयकर्ता आपूर्ति की गई ऊर्जा में 15% के अनुमति प्राप्त विचलन से अधिक कमी के लिए प्रति किलोवाट घंटा टैरिफ के 20% की दर से प्राप्तकर्ता को मुआवजा देगा और प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं हो पाने की सीमा तक खुली पहुँच शुल्क के लिए भुगतान करेगा ।

(च) प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध करयी जाने वाली भुगतान अवधि/भुगतान सुरक्षा

- प्राप्तकर्त्ता(ओं) को पीपीए में दर्शाए गए टैरिफ पर अनुबंधित क्षमता के अनुरूप 100% सप्ताहिक ऊर्जा के समतुल्य साख पत्र (एलसी) उपलब्ध कराना होगा । आरएफपी चयनित बोलीदता पीपीए के प्रभावी होने के पश्चात आपूर्तियाँ शुरू करने के लिए अधिकतम अवधि उपलब्ध कराएगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता के दायित्व पूरे किए जा रहे हों ।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी) में वह अधिकतम अवधि दी जाएगी जिसमें, प्रापणकर्ता के दायित्वों के पूरा होने के अधीन, चयनित बोलीकर्ता पीपीए के प्रभावी होने के पश्चात आपूर्ति करना शुरू कर दे ।

6. बोली प्रस्तुत करना एवं मूल्यांकन

प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ता राज्य की राज्य सरकार के स्वामित्व (51% अथवा अधिक) वाली उत्पादन कंपनी (कंपनियों) के अतिरिक्त बोलीकर्ताओं की न्यूनतम संख्या दो उत्पादन कंपनी (कंपनियाँ) होनी चाहिए । यदि आरएफपी के उत्तर में बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और उसके बाद भी प्राप्तकर्ता बोली प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है, तो उपर्युक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है । प्राप्तकर्ता एक बाहरी सदस्य, जिसके पास वित्तीय/व्यावसायिक(जिसने अनिवार्य रूप से प्राप्ति हेतु बोली मूल्यांकन से संबंधित मामले देखे हों) क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हों(जिसने अनिवार्य रूप से प्राप्ति हेतु बोली मूल्यांकन से संबंधित मामले देखे हों) के साथ बोलियों के मूल्यांकन हेतु एक स्थायी समिति का गठन करेगा ।

बोलीदाताओं को गैर वित्तीय और वित्तीय बोलियाँ अलग-अलग प्रस्तुत करनी होंगी । गैर-वित्तीय बोलियों में बिना किसी विचलन के सामान्य शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकार्यता और उन स्रोतों, जिनसे बोलीदाता विद्युत की आपूर्ति करेगा, के बारे में सूचना शामिल होंगी । बोलीदाताओं को बोलियों के साथ आवश्यक ईएमडी/ बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी । बोलियाँ, बोलीदाताओं के इच्छुक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी । वित्तीय बोली पूर्णतया आरएफपी में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगी और बिना शर्त होगी । सशर्त मूल्य बोली सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी । जिस बोलीदाता ने सबसे कम टैरिफ उद्धरित किया है उस बोलीदाता द्वारा अपनी वित्तीय बोली में प्रस्तावित विद्युत (मेगावाट में) की मात्रा के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा । सफल बोलीदाता की चयन प्रक्रिया को अपेक्षित संपूर्ण क्षमता के पूरा होने तक बोलीदाताओं की सभी शेष वित्तीय बोलियों के लिए दोहराया जाएगा । यदि उद्धरित टैरिफ, प्रचलित बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं हों तो प्राप्तकर्ता को स्वविवेक से सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार है ।

7. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

सामान्यतया इन दिशा-निर्देशों से किसी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों से विचलन अनिवार्य है, तो उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऐसा किया जा सकता है ।

8. मध्यस्थता

जहां किसी परिवर्तन का दावा करते हुए या टैरिफ के निर्धारिण के संबंध में या किसी टैरिफ से संबंधित मामले या जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से टैरिफ में परिवर्तन हो सकता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद उपयुक्त आयोग द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाएंगे ।

अन्य सभी विवादों का समाधान इंडियन आर्बीट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा ।

9. बोली प्रक्रिया के लिए समय तालिका

बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दर्शाए अनुसार न्यूनतम 10 दिन की अवधि दी जाएगी-

अल्पावधि प्राप्ति बोली प्रक्रिया और उसके बाद की गतिविधियों हेतु समय तालिका

क्रम सं0	घटना	शून्य तारीख से व्यतीत समय
1	आरएफपी का प्रकाशन	शून्य तारीख
2	आरएफपी बोलियाँ प्रस्तुत करना	6 दिन
3	बोलियों का मूल्यांकन और पीपीए पर हस्ताक्षर किया जाना	10 दिन
4	खुली पहुँच अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और विक्रेता/क्रेता द्वारा एसएलडीसी की सहमति प्राप्त करना	सुपुर्दगी की निर्धारित तारीख पर निर्भर करते हुए तथा खुली पहुँच विनियमों के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा शामिल किया जाएगा ।
5	एलसी को खोलना	विद्युत की आपूर्ति से पूर्व

10. अनुबंध सौंपना एवं निष्कर्ष

10.1 चयन प्रक्रिया के बाद चयनित बोलीकर्ता(ओं) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

10.2 बोली प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात, आरएफपी बोलियों के मूल्यांकन हेतु गठित स्थायी समिति आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार बोली प्रक्रिया मूल्यांकन के अनुरूप उपयुक्त प्रमाणीकरण करेगी । प्राप्तकर्ता उपयुक्त आयोग को बोली प्रकिया के इन दिशानिर्देशों के अनुरूप होने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

10.3 पारदर्शिता के लिए प्राप्तकर्ता, पीपीए के हस्ताक्षिरत किए जाने के पश्चात या पीपीए के प्रभावी होने पर, जो भी बाद में हो, सभी बोलीदाताओं द्वारा उद्धरित टैरिफ दर्शाते हुए बोलियों को सार्वजनिक करेगा । ऐसा करते समय, केवल सफल बोलीदाता का नाम ही सार्वजनिक किया जसएगा ओर अन्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धरित टैरिफ गुमनाम रूप से सार्वजनिक किए जाएंगे ।

10.4 यदि प्राप्त विद्युत की मात्रा एवं निर्धारित टैरिफ संबंधित वर्ष की वार्षिक राजस्व माँग (एआरआर) में उपयुक्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए आवृत अनुमोदन के भीतर हैं, तो इसे उपयुक्त आयोग द्वारा अभिगृहीत माना जाएगा ।

अन्य सभी मामलों में, प्राप्तकर्ता(ओं) द्वारा पीपीए हस्ताक्षरित किए जाने के तारीख से 2 दिन के भीतर टैरिफ अपनाने हेतु उपयुक्त आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी होगी । उपयुक्त आयोग याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से 7 दिन के भीतर निर्णय सम्प्रेषित करेगा ।

अशोक लवासा, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 15th May, 2012

Guidelines for short-term (i.e. for a period less than or equal to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process.

1. Preamble

No. 23/25/2011-R&R.—Promotion of Competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (the Act). Power purchase cost constitute the largest cost element for Distribution Licensees. Moreover, Power purchase cost for short-term procurement of Power is a significant part of overall Power purchase cost for Distribution Licensees. Competitive procurement of short-term power requirement by the Distribution Licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and will lead to significant benefits for consumers.

The short-term power market presently comprises about 10 per cent of the total electricity procured in India.

Section 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Section 63 of the Act states that –

"Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the Guidelines issued by the Central Government."

1761 GI/12-3

These Guidelines have been framed under the above provisions of section 63 of the Act. The specific objectives of these Guidelines are as follows:

i) Promote competitive procurement of electricity by Distribution Licensees for their short term demand (less than or equal to one year);

ii) Reduce the Power Purchase Bill of Discoms through a process of planned procurement based on a transparent guidelines;

iii) Provide benefit to consumers;

iv) Facilitate transparency and fairness in procurement processes;

These Guidelines shall be read alongwith the relevant provisions of the Electricity Act, 2003, Policies and other applicable regulations issued by the Appropriate Commission. In case of any conflict, clarifications shall be issued by the Central Government.

2. Scope of the Guidelines

These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power by Distribution Licensees (Procurer) for short-term i.e. for a period less than or equal to one year.

Explanation: For the purpose of these Guidelines, the term 'Procurer(s)' shall mean, as the context may require, the Distribution Licensee(s), or the authorised representative of the Distribution Licensee(s) to perform all tasks for carrying out the bidding process in accordance with these Guidelines.

The Guidelines shall apply for procurement[1] of short term power requirements through competitive bidding.

Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer(s).

Procurement by more than one Procurer through a combined bid process shall be permitted and in such a case the Procurers shall have the option to conduct the bid process through an authorized representative who may be one of the Procurers. For such combined procurement, each Procurer shall provide the necessary information required as per these Guidelines. To ensure standardization in evaluation of bids, the payment security and other

[1] State Power Utilities (only) may invite separate bids for selling of their surplus power and the same will be guided by the trading margin regulations of Appropriate Commission.

commercial terms offered to the Bidders by the various Procurers shall not vary. The price offered by the Bidders shall be same for Procurers inviting the bid.

As and when considered appropriate(not later than 5 years from the issue of these guidelines), the Central Government would examine and introduce a system of 'Reverse Auction' through an e-platform.

Exceptions: Procurement of Power for less than **15 days** shall be excluded from the scope of these Guidelines to allow for contingencies. Power procured under Banking mechanism and from Power Exchanges shall also be excluded from the scope of these Guidelines.

3.0 Preparation for inviting bids

3.1 The Procurer(s) shall procure short term power as per the plan approved by Appropriate Commission or appropriate body as may have been constituted for the purpose by the Appropriate Commission. In such case the Distribution Licensees will intimate about the initiation of the procurement process to the Appropriate Commission.

3.2 In case procurement of short term power exceeds the approved annual short term procurement plan, the Procurer(s) shall obtain prior approval from the Appropriate Commission or any appropriate body as may have been constituted for the purpose by the Appropriate Commission.

4.0 Tariff Structure

4.1 The Procurer based on its requirement may invite the bids on round the clock (RTC) basis or for different time slots. Procurer may also provide the bidders the flexibility to bid for a part of the tendered quantity, subject to a given minimum quantity. Bid capacity offered by the bidder shall have to be constant for the entire contract period.

The bidder shall quote the single tariff at the Delivery Point upto three (3) decimals which shall include capacity charge, energy charge, trading margin (in case of trader being a Bidder) and all taxes, duties, cess etc. imposed by Central Govt. / State Govt. / Local bodies. Tariffs shall be designated in Indian Rupees only.

For inter-State transmission of power, state/regional periphery of the seller to be taken as Delivery Point. For intra-state transmission of

power, interconnection point of seller with STU to be taken as Delivery Point. However, the bids will be evaluated at the Procurer's periphery after taking into account the applicable PoC charges.

For avoidance of doubt, Intra-state open access charges, transmission charges and losses along with CTU injection charges and loss up to the CTU interface are on Seller's account and CTU drawl charges and losses along with intra-state open access, transmission charges and losses are on Procurer's account.

The tariff should be constant and there shall be no escalation during the contractual period. If Bids are invited for different time slots then tariff may be different for each time slot.

If the power is being supplied through alternate source, any additional charges and losses if any, due to cancellation of existing corridor and booking of new corridor etc., shall be to the account of Bidders.

5. Bidding Process - Single stage process

For procurement under these Guidelines, a single-stage process by inviting Request for Proposal (RfP) shall be adopted for the bid process. Procurer or authorized representative shall prepare bid document in line with these Guidelines.

The Procurer shall publish a RfP notice in at least two national newspapers and upload the same on company website to accord it wide publicity. The bidding shall necessarily be by way of competitive bidding.

Procurer shall provide only written interpretation of the tender document to any bidder/participant and the same shall be made available to all other bidders. All parties shall rely solely on the written communication.

Standard documentation to be provided by the Procurer in the RFP shall include,

i) Definition of Procurer(s), requirements, including Quantum, time slot, duration for supply of power and delivery point.

ii) the procedures and criteria to be used to evaluate bids and select the bidder for award of contract.

iii) Earnest Money deposit (EMD)/ Bank Guarantee (BG)

a. The Bidder may be required to submit EMD of Rs. 30,000 per MW per month of offered capacity in the form of Bank Guarantee issued by any Nationalized/Scheduled Bank.

b. The EMD may be forfeited:

- If Bidder withdraws or modifies bid during Bid Validity Period
- For non-submission of Contract Performance Guarantee by Successful Bidder.

c. The EMD should be refunded to the unsuccessful bidders within 10 days of expiry of Bid validity period.

d. The EMD of the Successful Bidders should be refunded after furnishing Contract Performance Guarantee.

iv) Contract performance Guarantee (CPG)

a. The successful bidder may be required to furnish CPG within 7 days from the date of selection of successful Bidder for an amount calculated at Rs. 3 lac per MW per month of contract period or part thereof.

b. The CPG shall be in the form of BG issued by any Nationalized/Scheduled Bank and valid for the period of Contract with a claim period of 1 month after the expiry of contract period.

c. in the event, the CPG is not furnished within the stipulated date, the Bid Security submitted against the Notification shall be forfeited.

d. The CPG provided by the successful bidder may be forfeited for non-performing the contractual obligations. The CPG should be released within 30 days after completion of Contract Period.

v) Validity period of offer of bidder shall be 10 days from the date of bid opening.

1761 GI/12-4

vi) PPA proposed to be entered with the selected bidder. The PPA shall include necessary details on:

a. Risk allocation between parties;

b. Force Majeure Events shall mean the occurrence of any of the following events :-

- Any restriction imposed by RLDC/SLDC in scheduling of power due to breakdown of Transmission/Grid constraint shall be treated as Force Majeure without any liability on either side.
- Any of the events or circumstances, or combination of events and circumstances such as act of God, exceptionally adverse weather conditions, lightning, flood, cyclone, earthquake, volcanic eruption, fire or landslide or acts of terrorism causing disruption of the system.

The contracted power will be treated as deemed reduced for the period of transmission constraint. The non/part availability of transmission corridor should be certified by the concerned RLDC.

c. Change in Law – Change in Law shall include

- Any change in transmission charges and open access charges
- Any change in taxes (excluding income tax), duties, cess or introduction of any tax, duty, cess made applicable for supply of power by the Seller

d. Billing cycle - Bidders may raise bills on weekly basis or at the end of the contract period for the energy scheduled

e. Payment of Liquidated Damages for failure to supply the Instructed Capacity:

- Both the parties would ensure that actual scheduling does not deviate by more than 15% of the contracted power as per the approved open access on monthly basis.
- In case deviation from Procurer side is more than 15% of contracted energy for which open access has been allocated on monthly basis, Procurer shall pay compensation **at 20% of**

Tariff per KWh for the quantum of shortfall in excess of permitted deviation of 15% while continuing to pay open access charges as per the contract.

- In case deviation from Seller side is more than 15% of contracted energy for which open access has been allocated on monthly basis, Seller shall pay compensation to Procurer **at 20% of Tariff** per KWh for the quantum of shortfall in excess of permitted deviation of 15% in the energy supplied and pay for the open access charges to the extent not availed by the Procurer.

f. Payment term/Payment security to be made available by the Procurer

- The Procurer(s) may be required to provide revolving Letter of Credit (LC) equivalent to 100% of the weekly energy corresponding to Contracted Capacity at the tariff indicated in PPA. LC shall be opened prior to commencement of supply of power.

The RfP shall provide the maximum period within which the selected bidder must commence supplies after the PPA becomes effective, subject to the obligations of the Procurer being met.

6. Bid submission and evaluation

To ensure competitiveness, the minimum number of bidders should be at least two other than the Genco(s) owned (51% or more) by State Government of the procuring State. If the number of bidders responding to the RfP is less than two, and Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.

The Procurer shall constitute a Standing Committee for evaluation of the bids with one external member, necessarily having expertise in financial / commercial field (Essentially having handled matters related to bid evaluation for procurement).

1761 GI/12-5

Bidders shall be required to submit separate non financial and financial bids. The non financial bids shall contain the acceptance of general terms and conditions without any deviation and information about the sources from which the bidder shall supply the power. Bidders shall also be required to furnish necessary EMD/Bank Guarantee along with the bids. The bids shall be opened in the presence of representatives of bidders who wish to be present.

The financial bid shall be strictly as per the format prescribed in the RfP & shall be unconditional. The conditional price bid shall be summarily rejected.

The Bidder who has quoted lowest tariff shall be declared as the Successful Bidder for the quantum of power (in MW) offered by such Bidder in its Financial Bid. The selection process of the Successful Bidder shall be repeated for all the remaining Financial Bids of the Bidders until the entire Requisitioned Capacity is met.

The Procurer, in its own discretion, has the right to reject all Bids if the Quoted Tariffs are not aligned to the prevailing market prices.

7. Deviation from process defined in the Guidelines

Generally no deviation shall be allowed from these Guidelines. However, if it is essential to have the deviation from these Guidelines, the same could be done with the prior approval of the Appropriate Commission.

8. Arbitration

Where any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the Appropriate Commission.

All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996.

9. Time Table for Bid Process

The minimum period of 10 days shall be given for completion of bid process as indicated below:

Time table for short term Procurement bid process and activities afterwards

S. No.	Event	Elapsed time from Zero date
1.	Publication of RfP	Zero Date
2.	Submission of RfP Bids	6 days
3.	Evaluation of bids and signing of PPA	10 days
4	Submission of Application for Open Access approval and Obtaining SLDC consent by the seller / purchaser	To be inserted by Procurer depending on schedule delivery date and in line with the Open Access Regulations
5	Opening of the LC	Prior to supply of Power

10. Contract award and conclusion

10.1 The PPA shall be signed with the selected bidder(s) consequent to the selection process.

10.2 After the conclusion of bid process, the Standing Committee constituted for evaluation of RfP bids shall provide appropriate certification on conformity of the bid process evaluation according to the provisions of the RfP document. The Procurer shall provide a certificate on the conformity of the bid process to these Guidelines to the Appropriate Commission.

10.3 For the purpose of transparency, the Procurer shall make the bids public by indicating the tariff quoted by all the bidders, after signing of the PPA or PPA becoming effective, whichever is later. While doing so, only the name of the successful bidder shall be made public and tariffs quoted by other bidders shall be made public anonymously.

10.4 If the quantum of power procured and tariff determined are within the blanket approval granted by the appropriate commission in Annual Revenue Requirement (ARR) of the respective year, then the same will be considered to have been adopted by the Appropriate Commission.

in all other cases, the Procurer(s) shall submit a petition to the Appropriate Commission for adoption of tariff within 2 days from the date of signing of PPA. Appropriate Commission should communicate the decision within 7 days from the date of submission of petition.

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054